विभाग का नाम–सहकारिता विभाग

1– कार्यालयाध्यक्ष का नाम– श्री मानसिंह, जिला सहायक निबन्धक।
2– कार्यालय कक्ष सं0– 75 द्वितीय तल।
3– विभाग का ई–मेल आईडी– arcshrd@gmail.com
4– कार्यालय का दूरभाष नं0– 01334239378
5– मोबाइल नं0– 9458949088

सहकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।

सहकारिता विभाग द्वारा जनपद में सहकारी समितियों, जिला सहकारी बैंक, के माध्यम निम्न योजनाओं का संचालन किया जाता है।

1–ऋण एवं अधिकोषण योजना– सहकारिता विभाग सहकारी समितियों, जिला सहकारी बैंक के माध्यम से कृषक सदस्यों को ऋण एवं अधिकोषण योजनान्तर्गत कृषि कार्यों हेतु अल्पकालीन ऋण नकद एवं वस्तुरूप तथा कृषिगत कार्यों जैसे पशुपालन, भेड़ पालन, दुग्ध विकास, औद्यानिक क्रियाकलापों, सुअर पालन, मुर्गी पालन, मौनपालन इत्यादि हेतु मध्यकालीन ऋण एवं जिला सहकारी बैंक के माध्यम से दीर्घ कालीन ऋण जैसे ट्रैक्टर खरीद हेतु दिया जाता है। कृषक सदस्यों एवं समिति क्षेत्रान्तर्गत निवासित ग्रामीणों की छोटी–2 बचतों को ध्यान में रखकर समितियों में ग्रामीण बचत केन्द्र की स्थापना कर सदस्यों से अमानत प्राप्त कर बचत की भावना विकसित करने के उद्देश्य से बैंकिंग सुविधा प्रदान करने का कार्य भी किया जाता है।

2–क्रय विक्रय योजना– सहकारी समितियों के माध्यम से इस योजनान्तर्गत सदस्यों को कृषि कार्यों हेतु रासायनिक उर्वरकों, कृषि यन्त्रों, कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, की आपूर्ति करने का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त कृषकों द्वारा उत्पादित कृषि उत्पादों का मूल्य समर्थन योजना के अर्न्तगत खरीद का कार्य भी सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाता है।

3– उपभोक्ता योजना– सहकारी समितियों के माध्यम से लोगों को उचित मूल्य पर उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति का कार्य भी किया जाता है।

जिला सहायक निबन्धक
सहकारी समितिया, उत्तराखण्ड,
हरिद्वार।